न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रशासन) बीकानेर
बईजलास श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नम्बर मुकदमा 06/2012 रेफरेंस (राजस्व विविध)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

श्रीमती मोहनी पत्नि श्रीराम जाति जाट साकिन नौरंगदेसर तहसील बीकानेर

अप्रार्थी

::रेफरेंस अन्तर्गत धारा 232 राज. काश्त. अधि. 1955 एवं सपठित धारा 82 एवं 88 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

2– अप्रार्थी की ओर से – श्री रज्जाक अली भाटी अधिवक्ता

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

आदेश दिनांक 30.08.2018

1– प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 417–500 आरडी(आर) तहसील बीकानेर के मुरब्बा नम्बर 203/30 में कुल रकबा 18 बीघा भूमि जो कि खसरा गिरदावरी संवत 2030–2031, मिसल बंदोबस्त मौजा रोही जगदेववाला संवत 2005, जमाबंदी संवत 2068–2071 में गैर मुमकिन जोहड़ पायतन दर्ज रिकार्ड थी। सहायक आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के निर्णय 05.01.1989 के द्वारा श्रीमती मोहनी पत्नि श्रीराम जाति जाट साकिन नौरंगदेसर तहसील बीकानेर को पुख्ता आवंटन कर दी। आवंटन की गई भूमि विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेंस करने हेतु निवेदन किया गया।

2– रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी एवं अधिनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपस्थित आकर जवाब रेफरेंस प्रस्तुत किया।

3– तदन्तर विभागीय प्रतिनिधि व अप्रार्थी पक्ष के विद्वान अभिभाषक की मामले के गुणावगुण पर बहस सुनी गई ।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

4— स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि चक 417—500 आरडी(आर) तहसील बीकानेर के मुरब्बा नम्बर 203/30 में कुल रकबा 18 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड संवत 2030—2031, मिसल बंदोबस्त मौजा रोही जगदेववाला संवत 2005, जमाबंदी संवत 2068—2071 में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज थी। जिसे सहायक आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 05.01.1989 के द्वारा अप्रार्थी को आवंटित कर दी। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 में इस प्रकार के आवंटनों को अवैध माना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (3) के अनुसार गैर मुमकीन आगौर पायतन की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। सहायक आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा किया गया आवंटन विधि विरूद्ध व स्वतः ही शून्य आदेश है। रेफरेंस करने की मियाद निर्धारित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेफरेंस आदेश फरमाया जावे।

5— अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि अप्रार्थी को चक 417—500 आरडी में भूमि आवंटन की है। जिसका राजपत्र में विज्ञप्ति निकालने के बाद सहायक आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा आवंटन विशेष श्रेणी मानकर समस्त शर्तो का विधिपूर्ण पालन कर किश्तो का भुगतान करने पर आवंटित की गई थी दिनांक 5.1.89 को खातेदारी प्रदान कर तहसीलदार ने कब्जा एवं प्रमाण पत्र दिया है। उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का वर्ष 1989 से आज तक कब्जा काश्त है। रेफरेंस खातेदारी के पश्चात पेश किया है खातेदारी के पश्चात निरस्त नहीं की जा सकती है। हाईकोर्ट के विभिन्न साईटेशन से यह साबित है कि एक बार खातेदारी प्रदान करने के बाद खातेदारी को निरस्त नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी को आवंटन भूमि राज्य सरकार के नियमों के तहत किया गया है तथा अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को किसी भी विधि के उल्लंघन के आरोप से खातेदारी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता । प्रस्तुत रेफरेंस मियाद अधिनियम के तहत भी रेफरेंस चलने योग्य नहीं है। रेफरेंस एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाता है। लिमिटेशन एक्ट के उल्लंघन के कारण विधि से मियाद बाहर होने से रेफरेंस खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

6— हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली व न्यायालय में जैर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। मिसल बंदोबस्त मौजा रोही जगदेववाला संवत 2005 में खसरा नम्बर 21 की 432 बीघा 16 बिस्वा भूमि जोहड़ पायतन की भूमि दर्ज है। जमाबन्दी संख्या 2030 में खसरा नम्बर 21/2 की 269 बीघा 1 बिस्वा जोहड पायतन दर्ज है। मुताबिक उपनिवेशन विभाग सूची नं. 4 के खसरा नम्बर 21/2 की 432 बीघा 16 बिस्वा से अन्य रकबे के अलावा प्रश्नगत भूमि मुरबा नम्बर 203/30 की भूमि भी पैमूद हुई है तथा जमाबंदी संवत 2068—2071 में प्रश्नगत भूमि गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार प्रश्नगत भूमि के नामान्तरण संख्या 22 में भी जोहड पायतन से अप्रार्थी के नाम भूमि गैर खातेदारी दर्ज हुई है। जबकि प्रश्नगत भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (3) के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की है। इस भूमि को ना तो आवंटन किया जा सकता है व ना ही उस पर खातेदारी अधिकार अर्जित होते है। डीबी सिविल याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपने निर्णय दिनांक 2.8.04 द्वारा जोहड़ पायतन के संबंध में पारित आदेशों को अवैध माना है। मुतनाजा भूमि रिकार्ड में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन की होने के कारण अप्रार्थी को किया गया आवंटन बहाल रखना हम उचित नहीं पाते है। हम विभागीय प्रतिनिधि की बहस से पूर्णतया सहमत होते हुवे रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायौचित पाते है।

7— उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी स्टेट द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को इस अनुरोध के साथ रेफर किया जाता है कि अप्रार्थीया के पक्ष में चक 417—500 आरडी(आर) तहसील बीकानेर के मुरब्बा नम्बर 203/30 में कुल रकबा 18 बीघा कमाण्ड भूमि की बाबत सहायक उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.01.1989 को खारिज करते हुवे प्रश्नगत भूमि बहक सरकार ली जाकर राजस्व रिकार्ड में अराजीराज अंकित करने के निर्देश प्रदान किये जावे।

8— उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 31.10.2018 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष उपस्थित होवें।

9— आदेश आज दिनांक 30.08.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ए.एच. गौरी)
अति.जिला कलक्टर(प्रशा)
बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner